

प्रपत्र-30.3

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत वि०स० क्षेत्र जागेश्वर में दन्या-आरा सफल्ल मो०मार्ग के मयोली बैण्ड से ग्राम चिमखोली तक मो०मार्ग का नव निर्माण। (लम्बाई 6.00 किमी०)


वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम


तहसील-भनोली, जिला-अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में वि०स० क्षेत्र जागेश्वर में दन्या-आरा सफल्ल मो०मार्ग के मयोली बैण्ड से ग्राम चिमखोली तक मो०मार्ग के निर्माण हेतु 2.944 है० वन भूमि, का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मयोली द्वारा दिनांक 19/05/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मयोली, चितारवाली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
वि०स० धौलादेवी, अल्मोड़ा


ग्राम पंचायत अध्यक्ष
वि०स० धौलादेवी, अल्मोड़ा


ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत - आरासलपद
वि०स० धौलादेवी, अल्मोड़ा

प्रपत्र-30.2

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत वि०स० क्षेत्र जागेश्वर में दन्या-आरा सफल्ल मो०मार्ग के मयोली बैण्ड से ग्राम चिमखोली तक मो०मार्ग का नव निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बनोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, बनोली

उपखण्ड बनोली परिक्षेत्र के जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत वि०स० क्षेत्र जागेश्वर में दन्या-आरा सफल्ल मो०मार्ग के मयोली बैण्ड से ग्राम चिमखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.944 है० वन भूमि का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बनोली) की दिनांक 28-10-17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री **सुवधेश कुमार सिंह** उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- **सुवधेश कुमार सिंह** उपजिलाधिकारी, बनोली, अध्यक्ष
- 2- **श्री सुवधेश कुमार सिंह** उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सौराष्ट्र वन प्रभुत्व विभाग, बनोली, सदस्य
- 3- श्री **किसन सिंह जगैत** सहायक समाज कल्याण अधिकारी, बनोली, सदस्य
- 4- श्री **दीप चहलपानी** बी०डी०सी० क्षेत्र उत्तरी सदस्य आरासलपड

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत वि०स० क्षेत्र जागेश्वर में दन्या-आरा सफल्ल मो०मार्ग के मयोली बैण्ड से ग्राम चिमखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत वि०स० क्षेत्र जागेश्वर में दन्या-आरा सफल्ल मो०मार्ग के मयोली बैण्ड से ग्राम चिमखोली तक मो०मार्ग का नव निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बनोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, बनोली

उपखण्ड बनोली परिक्षेत्र के जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत वि०स० क्षेत्र जागेश्वर में दन्या-आरा सफल्ल मो०मार्ग के मयोली बैण्ड से ग्राम चिमखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.944 है० वन भूमि का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बनोली) की दिनांक 28-10-17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री **सुवधेश कुमार सिंह** उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- **सुवधेश कुमार सिंह** उपजिलाधिकारी, बनोली, अध्यक्ष
- 2- **श्री सुवधेश कुमार सिंह** उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सौराष्ट्र वन प्रभुत्व विभाग, बनोली, सदस्य
- 3- श्री **किसन सिंह जगैत** सहायक समाज कल्याण अधिकारी, बनोली, सदस्य
- 4- श्री **दीप चहलपानी** बी०डी०सी० क्षेत्र उत्तरी सदस्य आरासलपड

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत वि०स० क्षेत्र जागेश्वर में दन्या-आरा सफल्ल मो०मार्ग के मयोली बैण्ड से ग्राम चिमखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड भनोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत वि०स० क्षेत्र जागेश्वर में दन्या-आरा सफल्लड मो०मार्ग के मयोली बैण्ड से ग्राम चिमखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.944 है० वन भूमि, निर्माण ख० लो०नि०वि०, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

Ak S S
28/1/17
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-भनोली, जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Ak S S
28/1/17
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-भनोली, जनपद अल्मोड़ा

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated..8.11.17.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 2.944 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Construction Division P.W.D. Almora for दन्या-आरा-सल्फड़ मोटर मार्ग के मयौली बैण्ड से चिमखोली मोटर मार्ग** in Almora district falls within jurisdiction of **Mayoli & Chimkholi Village (s) in Bhanoli tahsils.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 2.944 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure to annexure.....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.: -YES
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.: -YES

Encl: As above


जिला समाज कल्याण अधिकारी
धर्मोड़ा


Ivashish Srivastawa
District Collector, Almora

FORM-II
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated...8.11.17.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that 2.944 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of दन्या-आरा-सल्फड़ मोटर मार्ग के मयौली बैण्ड से चिमखोली मोटर मार्ग in Almora district falls within jurisdiction of Mayoli & Chimkholi Village (s) in Bhanoli tahsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 2.944 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure 9
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Mayoli & Chimkholi villages (s) is enclosed as annexure 3.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- (f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

जिला समन्वयक कार्यालय अधिकारी
बलमोड़ा

Dr. Anshu Shrivastawa
District Collector, Almora

ANNEXURE-1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Iva Aashish Shrivastawa, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date. 8.11.17. at time 3.35 P.M. at Almora in which application claiming rights in Mayoli & Chinkholi area measuring 2.944 hec. for the construction of दन्या-आरा-सल्फड़ मोटर मार्ग के मयोली बैण्ड से चिमखोली मोटर मार्ग (6.00 km) of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Bhanoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora

Deputy Commissioner - Chairman
District Level Committee

Dated:

जिला समन्वयक कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा